

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मई 2024—वैशाख 20, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2024

क्र. ई-5-685-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे (1996), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के दिनांक 18 से 26 अप्रैल 2024 तक, नौ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 तथा 27, 28 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. आहूजा, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न लोक निर्माण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे (1996), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री डी. पी. आहूजा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश के जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. आहूजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

2407

क्र. ई-5-981-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ऋषव गुप्ता, भाप्रसे (2014), कलेक्टर, जिला देवास को दिनांक 22 से 24 अप्रैल 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री ऋषव गुप्ता, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला देवास का प्रभार श्री हिमांशु प्रजापति, भाप्रसे (2019), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, देवास को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ऋषव गुप्ता, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री ऋषव गुप्ता, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला देवास का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हिमांशु प्रजापति भाप्रसे (2019), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, देवास सौंपे गए प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री ऋषव गुप्ता, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ऋषव गुप्ता, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2024

क्र. ई-5-791-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री निशांत वरवड़े, भाप्रसे (2003), आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 18 से 24 अप्रैल 2024 तक, सात दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री निशांत वरवड़े, भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे (1992), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री निशांत वरवड़े, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, उच्च शिक्षा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री निशांत वरवड़े, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री निशांत वरवड़े, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निशांत वरवड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्र. ई-5-863-आयएस-लीव-5-एक.—श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे (2008), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के दिनांक 26 अप्रैल से 3 मई 2024 तक, कुल दस दिन के अर्जित अवकाश (दिनांक 4, 5 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) पर रहने के फलस्वरूप उनकी अवकाश अवधि में सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग का प्रभार श्रीमती सुरभि गुप्ता, भाप्रसे (2008), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरा राणा, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 मई 2024

फा. क्र. 1256-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक 1908-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 10 मई 2023 तथा 1908-1-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 10 मई 2023 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर / नई दिल्ली / ग्वालियर में नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत विधि पदाधिकारियों के कार्यकाल में दिनांक 30 जून 2024 तक की अभिवृद्धि करता है।

उक्त अभिवृद्धि कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश से प्राप्त अनापत्ति पत्र क्र. 51-एमसीसी-रिफरेंस-लो.स.-2024-7280, दिनांक 25 अप्रैल 2024 तथा 52-एमसीसी-रिफरेंस-लो.स.-2024-7281, दिनांक 25 अप्रैल 2024 के अंतर्गत जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल सिंह शिवाच, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मई 2024

क्र. 915-2020615-24-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उमरिया	उमरिया	श्रीमती पल्लवी सिंह, JMFC

No. 915-2020615-24-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015, the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Umaria	Umaria	Smt. Pallavi Singh, JMFC

क्र. 919-2020626-24-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अलीराजपुर	अलीराजपुर	श्री अंशुल चंद्रा, JMFC

No. 919-2020626-24-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015, the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Alirajpur	Alirajpur	Shri Anshul Chandra, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 22 फरवरी 2024

प्रारंभिक अधिसूचना

[अंतर्गत धारा 11 भूमि-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013)]

क्र. 108-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में "नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना" के अंतर्गत ग्राम सादनोद खेड़ा, तहसील देवास जिला देवास, मध्यप्रदेश के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है—सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना" हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची-1

ग्राम-सादनोद खेड़ा, तहसील देवास

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण हेतु.	0.003744	..	0.003744

अनुसूची-2

"नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना" (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम सादनोद खेड़ा तहसील देवास जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :—

ग्राम-सादनोद खेड़ा, तहसील देवास

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा (हैक्टर में)			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	शकुन्तलाबाई बेवा रामप्रसाद	253	1.4300	0	1.4300	0.003744	0	0.003744
कुल अर्जित रकबा						0.003744		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कन्नौद, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 18 अप्रैल 2024

प्रारूप-ख

उद्घोषणा

[नियम 5 का उपनियम (2) के तहत]

क्र. 189-भू-अ.-24.—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर, जिला खण्डवा के पत्र क्रमांक-669-2024, दिनांक 2 फरवरी 2024 के अनुसार राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भूमिगत राईजिंग मेन पाईप लाईन के निर्माण एवं उसमें संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत ग्राम से झाबरिया, तहसील सतवास, जिला देवास मेसर्स एल. एण्ड टी. कैम्प सर्वे नं. 2/1 ग्राम बापचा खंदौरपूर, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पास बागेर, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म. प्र.), मध्यप्रदेश राज्य में द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

1	जिले का नाम	देवास
2	तहसील	सतवास
3	ग्राम	झाबरिया
4	खसरा क्रमांक	445
5	भूमि का रकबा (हे. में) (अर्जित रकबा)	0.0600 हे. में से पैकि रकबा 0.0200 हे.
6	भूमि सिंचित अथवा असिंचित	सिंचित
7	अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति	निरंक (कृषि भूमि)
8	किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है	आई.एस.पी. पार्वती फेस-I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई, परियोजना (पम्प हाउस 02 से पम्प हाउस 03 के मध्य राईजिंग मेन बिछाने के लिए).

अभिषेक सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 20 जनवरी 2023

क्र. 69-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य झगरौही पहुँच मार्ग लम्बाई 2.30 कि. मी. सड़क निर्माण कार्य के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग से स्वीकृत है एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है और इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन नहीं होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—गजरही
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—04 चितांग
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.020 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जन हेतु रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)
14/2	0.020	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) सीधी, संभाग सीधी (म. प्र.)	झगरौही पहुँच मार्ग लम्बाई 2.30 कि. मी. के निर्माण हेतु.

निजी भूमि का योग . . . 0.020

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 71-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (3) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य झगरौही पहुँच मार्ग लम्बाई 2.30 कि. मी. सड़क निर्माण कार्य के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग से स्वीकृत है एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है और इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन नहीं होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—चित्तांग
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—04
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.270 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जन हेतु रकबा (हे. में.) (2)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)
5	0.070	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण	झगरौही पहुँच मार्ग लम्बाई
6	0.190	विभाग (भ. / स.) सीधी, संभाग	2.30 कि. मी. के निर्माण हेतु.
9	0.010	सीधी (म. प्र.)	
निजी भूमि का योग . .	0.270		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
साकेत मालवीय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील परसवाड़ा,
जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

परसवाड़ा, दिनांक 1 अप्रैल 2024

ज्ञाप. क्र. 121-भू-अर्जन-कार्य-चनई जला.-2024-25.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण		धारा 4(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बालाघाट	परसवाड़ा	चनई	42.30	कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, जिला बालाघाट.
				चनई जलाशय सिंचाई योजना के बांध एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलचंद सिंहसार, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, उपायुक्त (राजस्व), संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

प्ररूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

शहडोल, दिनांक 26 अप्रैल 2024

क्रमांक / 15/बी-121/2022-23, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम देवरी, पटवारी हल्का- देवरी, तहसील गोहपारु, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारु	देवरी/देवरी	323	0.129
			332/1, 332/2, 332/3	0.112
			333	0.097
			334	0.110
			337	0.124
			338	0.050
			339	0.053
			340	0.052
			341	0.045
			346	0.050
			350/1, 350/2	0.048

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			351/1, 351/2	0.136
			352/1/1, 352/1/2	0.053
			353/1, 353/2	0.004
			372	0.100
			366	0.032
			361	0.045
			362	0.005
			363	0.153
			357	0.068

क्रमांक /16/बी-121/2022-23, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम धनगवों, पटवारी हल्का- धनगवों, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायवक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारू	धनगवों / धनगवों	1946	0.004
			1921	0.118
			1922/1, 1922/2	0.145
			1917	0.142
			1912/1, 1912/2, 1912/3, 1912/4, 1912/5	0.142
			1906/1, 1906/2	0.113
			1911	0.060
			1910	0.068
			104	0.038
			103/2	0.079
			102	0.056

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			177/2	0.035
			180/1, 180/3	0.168
			225/1, 225/2, 225/3	0.170
			228	0.069
			229	0.029
			226/1, 226/2	0.081
			230	0.040
			232	0.051
			1485	0.077
			1470/3	0.438
			1468	0.019
			1459/2	0.406
			1460	0.037
			1466	0.036
			1464	0.074
			1463	0.020
			1462	0.020
			1461/1869	0.239
			1428/1, 1428/2	0.058
			1429/1, 1429/2	0.225
			1433/1, 1433/2	0.032
			1432/1, 1432/2, 1432/3	0.076
			1099	0.036
			1146	0.016
			1147	0.047
			1145	0.066
			1142	0.064
			1138	0.045
			1137/1, 1137/2	0.097
			1136/2, 1136/3	0.162
			1132/2, 1132/4	0.040
			1133/1, 1133/2	0.132
			1080/2, 1080/3	0.183
			1518	0.097
			1519	0.004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1521	0.042
			1520	0.087
			1529/1, 1529/2	0.181
			919	0.032
			900/1, 900/2/1, 900/2/2	0.163
			901	0.015
			845	0.066
			846	0.088
			855	0.067
			857/1, 857/2	0.093
			853	0.060
			859/1, 859/2	0.006
			860/1, 860/2	0.230
			1562/1	0.085
			1564/1, 1564/2, 1564/3	0.097
			1779	0.034
			1563/1	0.006
			1780	0.058
			1782/1	0.092
			1783	0.085
			1840	0.004
			1839	0.005
			1845	0.004
			1838	0.101
			533/1/1, 533/1/2	0.066
			2001/2	0.334

शहडोल, दिनांक 3 अप्रैल 2024

क्रमांक /17/बी-121/2022-23, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पाडखेर, पटवारी हल्का- घोरवे, तहसील जैतपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	जैतपुर	पाडखेर/ घोरवे	146/3, 146/7	0.137
			49/2/1/1, 49/2/1/2, 49/2/2, 49/3/2	0.200
			213/2/4, 213/4	0.467
			212/1, 212/2, 212/5, 212/6	0.300
			207/2/1, 207/2/2	0.111
			203/6	0.200
			206/8	0.100
			203/5/1	0.060

शहडोल, दिनांक 26 अप्रैल 2024

क्रमांक /18/बी-121/2022-23, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम भोगड़ाटोला, पटवारी हल्का- भमला, तहसील जैतपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	जैतपुर	भोगड़ाटोला / भमला	3	0.087
			4/1, 4/2	0.162
			5	0.011
			342	0.037
			343	0.066
			344	0.012
			345	0.119
			353	0.034

क्रमांक / 19/बी-121/2022-23, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि निम्न परिवहन हेतु ग्राम घोरवे, पटवारी हल्का- घोरवे, तहसील जैतपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है। तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	जैतपुर	घोरवे / घोरवे	932/1, 932/2/ka, 932/2/2	0.023
			933/2	0.056
			934	0.143
			935/1, 935/2	0.325
			936/2, 936/3	0.214
			937	0.211
			940/2, 940/3, 940/4/1, 940/4/2, 940/5	0.222
			941/1, 941/2, 941/3, 941/4	0.129
			942/1, 942/2	0.290
			943/1, 943/2, 943/3	0.013
			944	0.188
			945/4, 945/5, 945/6	0.010
			951/1, 951/2	0.381
			952	0.123
			959	0.005
			975/1, 975/2	0.283

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मिनीषा भगवती पाण्डेय, सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त राजस्व.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 400-भू-अर्जन-2024

सीधी, दिनांक 1 मई 2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम	-	झलवार
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	झलवार
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकवा 0.798 हे०

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	भूमिस्वामी का नाम
1	2	3	4	5
1	203/1	0.008	0.008	बुधनी पत्नी भगवानदीन 1/8, राममिलन पिता भगवानदीन 1/8, बालमीक पिता लक्षमण 1/4, नर्मदा पिता गयादीन 1/4, कंधई 1/20, छोट 1/20, तेजईया 1/20, मुब्ना 1/20 पिता हनुमान, बुधनी पत्नी हनुमान 1/20
2	215/1	0.234	0.030	रामभजन पिता रामजियावन कुशवाहा
3	290/1	0.853	0.033	राजकुमारी बेवा राजभान सिंह 1/2, राजकुमार सिंह पिता राजभान सिंह 1/2
4	292/1	0.374	0.054	कृष्ण प्रताप सिंह पिता सूर्य प्रताप सिंह
5	314/1/1	0.080	0.030	जितेन्द्र सिंह पिता मोतीलाल सिंह
6	314/1/2	0.306	0.030	जगतपाल पिता मोतीलाल सिंह
7	315/1	0.004	0.004	सियाकुमारी पत्नी सूर्यप्रताप सिंह 1/6, कृष्ण प्रताप पिता सूर्य प्रताप सिंह 1/6, कमलाकर सिंह पिता सूर्य प्रताप सिंह 1/6, सुमन सिंह पत्नी हरिकेशव सिंह 1/12, अमर सिंह पिता हरिकेशव सिंह 1/12, दुर्गा सिंह पत्नी अवधेश प्रताप सिंह 1/12, श्रमेश प्रताप सिंह पिता अवधेश प्रताप सिंह 1/12
8	326/1	0.231	0.041	रामबालक पिता पराग तेली
9	453/1	0.067	0.032	बैजनाथ पिता विशेषर गुप्ता

क्रं.	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में	भूमिस्वामी का नाम
10	459/1	0.140	0.100	विकलचन्द्र अग्रवाल पिता गणेश प्रसाद 8/140, गौरवचन्द्र अग्रवाल पिता गणेश प्रसाद अग्रवाल 8/140, संजय कुमार गुप्ता पिता भैयालाल गुप्ता 14/140, संगीता गुप्ता पत्नी संजय गुप्ता 110/140
11	458/1	0.303	0.103	रामकरन पिता जागेश्वर पटेल
12	603/1	0.200	0.021	शैलकुमारी बेवा भूपेन्द्र बहादुर सिंह 1/2, अजीत सिंह पिता भूपेन्द्र बहादुर सिंह 1/2
13	572/1	0.006	0.006	अजय सिंह पिता भूपेन्द्र बहादुर सिंह
14	552/1	0.029	0.024	छोटेलाल पिता रामफल 1/2, रामचन्द्र पिता सखा 1/2
15	613/1	0.240	0.160	रामकरण पिता जागेश्वर पटेल
16	798/1	0.141	0.026	सुख्खी पत्नी महादेव 1/3, सुनील 1/3, अनिल 1/3 पिता महादेव
17	820/1	0.978	0.032	रामलला पिता संता 1/2, गल्ला पिता छोटका
18	822/1/1	0.038	0.016	नीलाम्बर प्रसाद पिता नागेश्वर प्रसाद
19	822/1/2	0.039	0.014	ललिता बेवा गोविन्द प्रसाद 1/2, पुष्परज पिता गोविन्द 1/2
20	822/1/3	0.039	0.014	चेतमणि पिता श्रीनिवास 1/2, मुनिया बेवा श्रीनिवास 1/2
21	822/1/4	0.038	0.020	मृगाम्बर पिता नागेश्वर प्रसाद
कुल योग		4.348	0.798	

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

क्र. 402-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	चुरहत
(ग) ग्राम	-	हदिया
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	हदिया
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकबा 0.913 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	1360/2/2/1	0.612	0.033	राजेश सिंह पिता हरिवंश सिंह बाघेल
2	1360/2/2/2	0.031	0.029	प्रतीक्षा पिता आलोक मणि कुशवाहा
3	1361/1/1	0.032	0.030	अरुणा सिंह बेवा अनिरुद्ध सिंह, अनिल कुमार, अजीत कुमार सिंह पिता अनिरुद्ध सिंह
4	1361/1/2/1/1	0.230	0.046	अजीत कुमार सिंह पिता अनिरुद्ध सिंह
5	1361/1/2/1/2	0.010	0.010	रामलखन पिता केदारनाथ सोनी
6	1361/1/2/2	0.005	0.005	सुंदर लाल पिता रामकृष्ण तिवारी
7	1361/1/2/3	0.005	0.005	विनोद कुमार पिता रामाधार तिवारी
8	1361/1/3/1	0.010	0.010	विवेक कुमार पिता रामबालक सोनी
9	1361/1/3/2	0.010	0.010	प्रशांत कुमार पिता रामकुमार सोनी
10	1361/1/4/1	0.010	0.010	विपिन कुमार पिता रामबालक सोनी
11	1361/1/4/2	0.005	0.005	विकास कुमार पिता रामबालक सोनी
12	1361/1/4/3	0.005	0.005	रामशरण पिता रमेश कुमार सोनी
13	1361/1/5	0.010	0.010	लवलेश पिता नागेश्वर प्रसाद कुशवाहा
14	1361/1/6	0.010	0.010	जयसिंह पिता महेश प्रसाद कुशवाहा
15	1361/1/7	0.020	0.020	सन्तकुमार पिता कालीचरण कुशवाहा
16	1361/1/8/1/1/1	0.180	0.030	अनिल कुमार सिंह पिता अनिरुद्ध सिंह
17	1361/1/8/1/1/2	0.010	0.010	दुर्लभ सिंह पिता दिलीप सिंह
18	1361/1/9/1	0.010	0.010	कालीचरण पिता निरंजन कुशवाहा
19	1361/1/9/2	0.020	0.020	सुमित्रा पिता कालीचरण कुशवाहा
20	1361/1/10	0.030	0.030	विजय सिंह पिता जयराम सिंह चंदेल
21	1361/1/11	0.015	0.015	रामराज पिता रामसजीवन वर्मा
22	1361/1/12	0.015	0.015	बृजेश कुमार पिता संगमलाल पटेल

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
23	1361/1/13	0.010	0.010	सुनील कुमार पिता गिरधारी पटेल
24	1361/1/14	0.010	0.010	बृजेश पिता ओमप्रकाश पटेल
25	1361/1/15	0.010	0.010	अमित कुमार सिंह पिता अनंत लाल सिंह
26	1361/1/16	0.010	0.010	अजय सिंह पिता राणा सिंह सिंगरा
27	1361/1/17	0.010	0.010	राजेश पिता रामलखन कुशवाहा
28	1361/2/1/1/1/1	0.040	0.030	कृष्ण प्रताप सिंह पिता प्रधुन्म सिंह
29	1361/2/1/1/1/2	0.040	0.030	सुबोध पिता रमाकांत कुशवाहा
30	1361/2/1/1/1/3	0.010	0.010	रामदरस पिता मनसुखलाल गुप्ता
31	1361/2/1/1/1/4	0.010	0.010	उपेन्द्र कुमार पिता शिव प्रसाद नामदेव
32	1361/2/1/1/2	0.030	0.030	विनय कुमार सिंह पिता कृष्ण प्रताप सिंह बघेल
33	1361/2/1/1/3	0.030	0.030	धर्मेन्द्र सिंह पिता कृष्ण प्रताप सिंह बघेल
34	1361/2/1/1/4	0.030	0.030	शिवराज सिंह पिता कृष्ण प्रताप सिंह बघेल
35	1361/2/1/1/5	0.030	0.030	मोहित सिंह पिता कृष्ण प्रताप सिंह बघेल
36	1361/2/1/1/6	0.030	0.030	संदीप सिंह पिता कृष्ण प्रताप सिंह बघेल
37	1361/2/1/1/7	0.030	0.030	दीपक सिंह पिता कृष्ण प्रताप सिंह बघेल
38	1361/2/1/2/1	0.050	0.014	देवराज सिंह पिता इन्द्रदेव सिंह बघेल
39	1361/2/1/2/2	0.050	0.010	संग्राम सिंह पिता इन्द्रदेव सिंह बघेल
40	1361/2/1/2/3	0.057	0.010	सुधा सिंह पति ध्रुव किशोर सिंह बघेल
41	1361/2/2	0.240	0.030	कमलनारायण सिंह, सत्रुधन सिंह, जीतेन्द्र सिंह पिता उदयनाथ सिंह
42	1362/2	0.400	0.003	जीतेन्द्र सिंह पिता अंशुमान सिंह
43	1373	0.140	0.006	हरिवंश सिंह, ब्रजेन्द्र कुमार सिंह, उमा सिंह पिता शिवनाथ सिंह बघेल
44	1395/2/1	0.040	0.026	विपिन कुमार पिता राम सुमिरन राम ब्रा०
45	1395/2/2	0.010	0.010	पूनम पति वीरेन्द्र कुमार मिश्र
46	1746/1/1	0.236	0.096	दलबहादुर सिंह पिता मंगल सिंह
47	1746/1/2	0.510	0.030	मानिक लाल सिंह पिता मंगल सिंह
निजी भूमि का योग		3.348	0.913	

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 404-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पूर्णवास और पूर्णव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

--: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम	-	पड़खुरी कोठार
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	00034 पड़खुरी 587
(ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकवा 3.286 हे०

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
1	1005	0.250	0.140	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
2	1046	0.260	0.032		
3	1061	0.030	0.004		
4	1063	0.100	0.032		
5	1193	1.370	0.060		
6	1967/1	0.110	0.110		
7	1967/2	0.120	0.120		
8	1985	0.440	0.040		
9	1986/1	0.080	0.024		
10	1986/2	0.070			
11	1987/1	0.080	0.010		
12	1987/2	0.070			
13	1990	0.270	0.054		
14	2029	0.160	0.003		
15	2272/1	0.040	0.110		
16	2272/2	0.110			
17	2272/3	0.100			
18	2281	0.010	0.002		
19	2299	0.250	0.010		

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
20	2317	0.120	0.044	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
21	2358/1	0.004	0.056		
22	2358/2	0.004			
23	2358/3	0.004			
24	2358/4	0.004			
25	2358/5	0.010			
26	2358/6	0.004			
27	2358/7	0.004			
28	2358/8	0.004			
29	2358/9	0.004			
30	2358/10	0.004			
31	2358/11	0.004			
32	2358/12	0.002			
33	2358/13	0.002			
34	2358/14	0.002			
35	2358/15	0.004			
36	2359/1/1/1	0.038	0.032		
37	2359/1/1/2	0.004	0.004		
38	2359/1/1/3	0.004	0.004		
39	2359/1/2	0.004	0.004		
40	2359/1/3	0.004	0.004		
41	2359/1/4	0.004	0.004		
42	2359/1/5	0.004	0.004		
43	2359/1/6	0.004	0.004		
44	2359/1/7	0.004	0.004		
45	2359/2	0.070	0.010		
46	2359/3	0.070	0.032		
47	2359/4	0.060	0.050		
48	2361	0.050	0.004		
49	2362	0.040	0.034		
50	2367/1	0.040	0.040		
51	2367/2	0.004			
52	2367/3	0.004			
53	2367/4	0.004			
54	2367/5	0.004			
55	2367/6	0.004			
56	2367/7	0.004			
57	2367/8	0.004			
58	2367/9	0.004			
59	2367/10	0.008			
60	2397	0.810	0.006		
61	2339/2596	0.310	0.280		
62	1991	0.300	0.020		
63	1047/1	0.860	0.080		
64	1048/1	0.050	0.035		
65	1053/1	0.012	0.012		
66	1002/1	0.344	0.175		
67	1001/1	0.024	0.024		
68	1049/1	0.045	0.035		
69	1052/1	0.030	0.030		
70	1054/1	0.010	0.010		
71	1982/1	0.189	0.189		

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
72	1983/1	0.332	0.100	उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
73	1968/1	0.020	0.020		
74	1966/1	0.129	0.077		
75	1966/2	0.139	0.077		
76	2001/1	0.251	0.162		
77	1997/1	0.011	0.005		
78	2022/1	0.240	0.080		
79	2025/1	0.740	0.060		
80	2026/1	0.164	0.060		
81	2027/1	0.112	0.060		
82	2038/1	0.130	0.070		
83	1004/1	0.479	0.100		
84	2363/1	0.047	0.020		
85	2364/1	0.026	0.026		
86	2365/1	0.015	0.015		
87	2368/1	0.080	0.050		
88	2280/1	0.003	0.003		
89	2278/2599	0.110	0.020		
90	2315/1	0.020	0.020		
91	2270/1	0.110	0.032		
92	2267/1	0.070	0.020		
93	2266/1	0.610	0.210		
94	2268/1	0.788	0.018		
निजी भूमि का योग		5.660	3.286		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 406-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम	-	आमडाड़ 43
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	पटेहरा
(ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकबा 1.166 हे०

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	204/1	0.240	0.090	अशीष कुमार, गौरीश कुमार पिता बाल्दाऊ, मिथिलेश कुमारी पिता बल्दाऊ ब्रा०
2	206/1/2/1/1	0.086	0.032	आकृति पिता प्रकाश चन्द्र 20/24, दिलीप सिंह तिवारी पिता अवध प्रताप सिंह
3	206/1/2/2/2	0.004	0.004	रविता पत्नी महान चतुर्वेदी ब्रा०
4	206/1/2/2/3	0.004	0.004	मयंक पिता प्रमोद कुमार चतुर्वेदी ब्रा०
5	206/1/2/2/4	0.012	0.012	रवि कुमार पिता शिवमोहन प्रसाद दीक्षित
6	206/1/2/2/क	0.012	0.012	आकृति पिता प्रकाश चन्द्र अग्निहोत्री, दिलीप पिता अवध प्रताप सिंह तिवारी
	206/1/2/2/1/2	0.004	0.004	
7	206/1/2/3/1	0.024	0.020	अनुराग पिता प्रकाश चन्द्र अग्निहोत्री ब्रा०
8	206/1/2/3/2	0.004	0.004	संदीप पिता महादेव प्रसाद दुबे
9	206/1/2/3/3	0.004	0.004	पुष्पराजन पिता कमलनयन तिवारी
10	206/1/2/4	0.008	0.008	अम्बुज पिता अखिलेश्वर प्रताप सिंह
11	206/1/2/5	0.008	0.008	विनीत पिता धर्मराज सिंह
12	206/1/2/6	0.004	0.004	सुजीत पिता प्रेमबहादुर सिंह
13	206/1/3/1/1	0.094	0.032	प्रवीण कुमार पिता ओम प्रकाश ब्रा०
14	206/1/3/2	0.020	0.020	सुजीत पिता गिरिजा कुमार सिंह
15	206/1/3/3	0.008	0.008	नितीश उपाध्याय पिता बंशमणि
16	206/1/3/4/2	0.004	0.004	विशाल पिता गदाधारी तिवारी
17	206/1/3/4/3	0.004	0.004	अनामिका पिता उमेश कुमार तिवारी
18	206/1/3/4/4	0.004	0.004	विनोद कुमार पिता सुरेश प्रसाद तिवारी
19	206/1/3/4/5	0.004	0.004	विकास कुमार पिता रमेश कुमार पाण्डेय
20	206/1/3/4/6	0.004	0.004	सायना बेगम पति मो० इरसाद मुसलमान
21	206/1/3/4/मिन-1	0.012	0.012	अरमान पिता प्रवीण अग्निहोत्री
22	206/1/3/5	0.008	0.004	मनीष पिता मणि उपाध्याय
23	206/1/3/6	0.004	0.004	ऋषि पिता लालबहादुर सिंह
24	206/1/3/7	0.004	0.004	ऋषभ पिता लालबहादुर सिंह
25	206/1/4/1/1	0.094	0.032	सुनीत कुमार पिता ओम प्रकाश

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
26	206/1/4/2	0.008	0.004	प्रशांत पिता सीतला सिंह
27	206/1/4/3	0.008	0.004	निर्भय पिता प्रेम बहादुर सिंह
28	206/1/4/4	0.012	0.005	अंकित पिता अरुण प्रताप सिंह
29	206/1/4/5	0.012	0.005	अवनीष पिता अखिलेश्वर प्रताप सिंह
30	206/1/4/6	0.004	0.004	रामप्रसाद पिता दमोदर प्रसाद गौतम
31	206/1/4/7	0.004	0.004	संजीव पिता सन्तशरण गौतम
32	206/1/4/8	0.004	0.004	प्रदीप पिता रामप्रकाश गौतम
33	206/1/4/9	0.004	0.004	आशुतोष पिता बृजमोहन उपाध्याय
34	206/1/4/10	0.004	0.004	श्रेया पुत्री सुनील कुमार ना०सं० बाबा ओमप्रकाश ब्रा०
35	206/1/4/11	0.004	0.004	श्रुति पुत्री सुनील कुमार ना०सं० बाबा ओम प्रकाश ब्रा०
36	206/1/4/12	0.004	0.004	अमन पिता अनिल पाण्डेय
37	206/1/4/13	0.004	0.004	मीनाक्षी पुत्री मदनपाल सिंह
38	206/1/4/14	0.004	0.004	नागेन्द्र बहादुर पिता नारेन्द्र बहादुर सिंह
39	206/2/1	0.286	0.034	अनिल कुमार, पूर्णानंद, राकेश कुमार पिता राजेश्वर प्रसाद
40	206/2/3	0.004	0.004	सुनील पिता लखपति यादव
41	206/2/4	0.004	0.004	संदीप पिता दशरथ पटेल
42	206/2/5	0.004	0.004	देवेन्द्र प्रताप सिंह पिता मोहन सिंह
43	206/2/6	0.004	0.004	ज्ञानेन्द्र सिंह पिता मोहन सिंह
44	206/2/7	0.004	0.004	संतोष पिता रामजियावन विश्वकर्मा
45	206/2/8	0.004	0.004	अमित पिता सीताराम विश्वकर्मा
46	206/2/9	0.004	0.004	राजू पिता मोतीलाल विश्वकर्मा
47	206/2/10	0.004	0.004	योगेन्द्र पिता शमसेर सिंह
48	206/2/11	0.004	0.004	घनश्याम पिता सोभनाथ सोनी
49	206/2/12	0.004	0.004	संतोष पिता शेषमणि पटेल
50	206/2/13	0.004	0.004	रामचरित पिता अग्रनाथ पटेल
51	206/2/14	0.004	0.004	योगेन्द्र पिता लालबहादुर पटेल
52	206/2/15	0.004	0.004	रामलाल पिता बंशपति वर्मा
53	206/2/16	0.004	0.004	सुखनिधान पिता शिवलाल विश्वकर्मा
54	206/2/17	0.004	0.004	राजमणि पिता दधिबल विश्वकर्मा
55	206/2/18	0.004	0.004	राज कुमार पिता रामगोपाल विश्वकर्मा
56	206/2/19	0.004	0.004	अखिलेश पिता सान्तन प्रसाद विश्वकर्मा
57	206/2/20	0.004	0.004	कमलेश पिता सान्तन प्रसाद विश्वकर्मा
58	206/2/21	0.004	0.004	राजेश पिता रामसजीवन गुप्ता
59	206/2/22	0.004	0.004	दिनेश पिता राजमणि गुप्ता
60	206/2/23	0.004	0.004	अजय पिता चेतनलाल गुप्ता
61	206/2/24	0.004	0.004	विजय पिता चेतनलाल गुप्ता
62	206/2/25	0.004	0.004	रामजी पिता सुरेश अग्रवाल
63	206/2/26	0.004	0.004	रवि पिता दिनेश प्रसाद विश्वकर्मा
64	206/2/27	0.004	0.004	राहुल पिता संतोष कुमार विश्वकर्मा

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
65	206/2/28	0.004	0.004	अमरनाथ पिता श्यामसुन्दर तिवारी
66	206/2/29	0.004	0.004	शिव चरित्र पिता केशरी प्रसाद सोधिया
67	206/2/30	0.004	0.004	रवि पिता जगतदेव विश्वकर्मा
68	206/2/31	0.004	0.004	राजेन्द्र पिता बृन्दावन सोनी
69	206/2/32	0.004	0.004	सौरव पिता भागीरथी पटेल
70	206/2/33	0.004	0.004	राजेश प्रसाद पिता श्यामलाल विश्वकर्मा
71	206/2/34	0.004	0.004	दीनदयाल पिता हिन्डलाल पाण्डेय
72	206/2/35	0.004	0.004	बलराम पिता हीरामणि गुप्ता
73	206/2/36	0.004	0.004	राधा पत्नी रमेश कुमार गुप्ता
74	206/2/37	0.004	0.004	प्रिंश सिंह पिता शिवेस सिंह बाघेल
75	206/2/38	0.004	0.004	सुरेश कुमार पिता केदार नाथ गुप्ता
76	206/2/39	0.004	0.004	नागेन्द्र पिता सुमेश्वर कुशवाहा
77	206/2/40	0.004	0.004	राजेन्द्र प्रसाद पिता छेदीलाल त्रिपाठी
78	206/2/41	0.004	0.004	महेन्द्र पिता केदारनाथ गुप्ता
79	206/2/42	0.004	0.004	रंगबहादुर पिता बाबादीन कुशवाहा
80	206/2/43	0.004	0.004	अजय पिता रघुनाथ प्रसाद मिश्रा
81	206/2/44	0.004	0.004	राकेश पिता बाल्मीक पटेल
82	206/2/45	0.004	0.004	भूपेन्द्र पिता आदित्य प्रसाद मिश्रा
83	206/2/46	0.004	0.004	सरोज पत्नी मनोज कुमार विश्वकर्मा
84	206/2/47	0.004	0.004	निर्मला पत्नी दिलीप विश्वकर्मा
85	206/2/48	0.004	0.004	संतोष पिता रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा
86	206/2/49	0.004	0.004	उमेश पिता रामगोपाल विश्वकर्मा
87	206/2/50	0.004	0.004	मदनसेन पिता रामावतार विश्वकर्मा
88	206/2/51	0.004	0.004	नारेन्द्र पिता रामगोपाल विश्वकर्मा
89	206/2/52	0.004	0.004	दिलीप कुमार पिता विश्वनाथ
90	206/2/53	0.004	0.004	बृजेश कुमार पिता श्यामसुन्दर तिवारी
91	206/2/54	0.004	0.004	रविशंकर पिता अयोध्या प्रसाद शुक्ला
92	206/2/55	0.004	0.004	मो० हकीम पिता मो० हनीफ
93	206/2/56	0.004	0.004	शैयद रेहान पिता शैयदइकारामुद्दीन
94	206/2/57	0.004	0.004	धर्मेन्द्र पिता भागवत प्रसाद तिवारी
95	206/2/58	0.004	0.004	प्रकाश पिता हरिराम गौतम
96	206/2/59	0.004	0.004	अंकुश पिता कोदूलाल गुप्ता
97	206/2/60	0.004	0.004	शरद चन्द्र पिता राजेन्द्र प्रसाद ब्रा०
98	206/2/61	0.004	0.004	कृष्णमोहन पिता श्रुषि कुमार पाण्डेय
99	206/2/62	0.004	0.004	शिव मोहन पिता शंकर कुमार पाण्डेय
100	206/2/63	0.004	0.004	बृजेश कुमार पिता रामकृष्ण मिश्रा
101	206/2/64	0.004	0.004	रामप्रसाद पिता बलदेव प्रसाद बजरिया
102	206/2/65	0.004	0.004	ऊषा पत्नी श्री रामनिवास मिश्रा
103	206/2/66	0.004	0.004	सुधाकर पिता सच्चिदानंद मिश्रा
104	206/2/67	0.004	0.004	राजीव पिता त्रियुगी नारायण चतुर्वेदी

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
105	206/2/68	0.004	0.004	अमित पिता केशरी लाल बैरासी
106	207/1/1/1	0.060	0.002	कृष्णमणि पिता चूड़ामणि
107	207/1/1/2	0.004	0.004	राजमणि पिता रामपाल सिंह
108	207/1/1/3	0.004	0.004	जितेन्द्र पिता कमलेश पाण्डेय
109	207/1/1/4	0.004	0.004	प्रदीप कुमार शिवकुमार उपाध्याय
110	207/1/1/5	0.004	0.004	रमेश पिता इन्द्रमन चतुर्वेदी
111	207/1/1/6	0.004	0.004	सतेन्द्र सिंह पिता रुपनारायण सिंह
112	207/1/1/7	0.004	0.004	राकेश कुमार पिता सीताराम चतुर्वेदी
113	207/1/1/8	0.004	0.004	रश्मि पति हेमन्त गौतम
114	207/1/1/9	0.004	0.004	अजीत पिता विजय भारत शर्मा
115	207/1/1/10	0.004	0.004	जयन्त पिता विजय भारत शर्मा
116	207/1/1/11	0.004	0.004	विनीत कुमार पिता रूषी त्रिपाठी
117	207/1/1/12	0.004	0.004	जयनारायण पिता नवलकिशोर चतुर्वेदी
118	207/1/1/13	0.004	0.004	कृष्णकान्त पिता श्रीराम मिश्रा
119	207/1/1/14	0.004	0.004	आशीष कुमार पिता शिवकुमार गौतम
120	207/1/1/15	0.004	0.004	अविनाश पिता मुनेश्वरी प्रसाद तिवारी
121	207/1/1/16	0.004	0.004	शिवपाल पिता अमरनाथ सिंह
122	207/1/1/17	0.004	0.004	अरविन्द पिता रामसोहावन मिश्रा
123	207/1/1/18	0.004	0.004	पुष्पेन्द्र पिता लालजी गौतम
124	207/1/1/19	0.004	0.004	सनत कुमार पिता राघव प्रसाद तिवारी
125	207/1/1/20	0.004	0.004	राजेश पिता गिरधारीलाल द्विवेदी
126	207/1/1/21	0.004	0.004	आशीष कुमार पिता बलराम प्रसाद मिश्रा
127	207/1/1/22	0.004	0.004	संजय पिता गनपति प्रसाद मिश्रा
128	207/1/1/23	0.004	0.004	धीरेन्द्र कुमार पिता मंगल प्रसाद तिवारी
129	207/1/1/24	0.004	0.004	दीपा पति मुनेन्द्र तिवारी
130	207/1/1/25	0.004	0.004	प्रीती पति राजेश कुमार मिश्रा
131	207/1/1/26	0.004	0.004	सुनील कुमार पिता रामबली चतुर्वेदी
132	207/1/1/27	0.004	0.004	धर्मन्द्र कुमार पिता दीपक कुमार त्रिपाठी
133	207/1/1/28	0.004	0.004	पुष्पेन्द्र कुमार पिता रामप्रताप शुक्ला
134	207/1/1/29	0.004	0.004	गौरब पिता बृजेश सिंह
135	207/1/1/30	0.004	0.004	विनय कुमार पिता छेदीलाल चतुर्वेदी
136	207/1/1/31	0.004	0.004	मनोज पिता राजीव वर्मा
137	207/1/1/32	0.004	0.004	रचना पिता भगवानदीन वर्मा
138	207/1/1/33	0.004	0.004	राजेश कुमार पिता छेदीलाल चतुर्वेदी
139	207/1/1/34	0.004	0.004	ध्यान प्रकाश पिता उमेश अग्निहोत्री
140	207/1/1/35	0.004	0.004	ज्ञान प्रकाश पिता उमेश अग्निहोत्री
141	207/1/1/36	0.012	0.004	जीतेन्द्र कुमार पिता सुरेश कुमार मिश्रा
142	207/1/2/1	0.131	0.002	दुर्गावती पिता बंशीधर ब्रा०
143	207/1/2/2	0.004	0.004	आशुतोष पिता मुनीन्द्र मिश्रा
144	207/1/2/3	0.004	0.004	अर्पणा पुत्री संतोष त्रिपाठी

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
145	207/1/2/4	0.004	0.004	अनिकेत पिता संतोष त्रिपाठी
146	207/1/2/5	0.004	0.004	आलोक पिता संतोष त्रिपाठी
147	207/1/2/6	0.004	0.004	संतोष पिता रामयश मिश्रा
148	207/1/2/7	0.004	0.004	शिरीश पिता रमेश शुक्ला
149	207/1/2/8	0.004	0.004	भैयालाल पिता चन्द्रधर राम शर्मा
150	207/1/2/9	0.008	0.004	प्रदीप पिता हरिहर साकेत
151	207/1/2/10	0.004	0.004	मंगलेश्वर पिता रमेश साकेत
152	207/1/2/11	0.004	0.004	कृष्णकान्त पिता आदित्य प्रसाद मिश्रा
153	207/1/2/12	0.004	0.004	अनिल पिता रामशिरोमणि मिश्रा
154	207/1/2/13	0.004	0.004	आनन्द शंकर पिता गोपीनाथ द्विवेदी
155	207/1/2/14	0.004	0.004	सुनील कुमार पिता रामशिरोमणि मिश्रा
156	207/1/2/15	0.004	0.004	धानेन्द्र पिता रामसिया कुशवाहा
157	207/1/2/16	0.008	0.008	देवराज पिता सत्यप्रसाद मिश्रा
158	207/1/2/17	0.008	0.008	अमित कुमार पिता देवराज मिश्रा
159	207/1/3/1/1	0.084	0.002	उमाकान्त पति शिवाजी ब्रा०
160	207/1/3/2	0.004	0.004	अम्बरीश पिता भैयालाल द्विवेदी
161	207/1/3/3	0.004	0.004	नारायणधर पिता भैयालाल द्विवेदी
162	207/1/3/4	0.004	0.004	मंसा पत्नी शिरीष शुक्ला
163	207/1/3/5	0.004	0.004	प्रदीप पिता जोखई राम तिवारी
164	207/1/3/6	0.004	0.004	सरोज पुत्री जोधेलाल साहू
165	207/1/3/7	0.004	0.004	रामनारायण पिता रामप्रताप साहू
166	207/1/3/8	0.004	0.004	हरीश पिता लखपती साहू
167	207/1/3/9	0.004	0.004	प्रमोद कुमार पिता हीरालाल यादव
168	207/1/3/10	0.004	0.004	विकाश पिता रमाकांत सिंह चौहान
169	207/1/3/11	0.004	0.004	ध्रुव पिता बृजलाल प्रसाद विश्वकर्मा
170	207/1/3/12	0.004	0.004	रावेन्द्र पिता दधिवल विश्वकर्मा
171	207/1/3/13	0.004	0.004	शैलेन्द्र पिता रामाश्रय विश्वकर्मा
172	207/1/3/14	0.004	0.004	पुष्पेन्द्र पिता भैयालाल पटेल
173	207/1/3/15	0.004	0.004	रतना पुत्री भैयालाल पटेल
174	207/1/3/16	0.004	0.004	स्वतंत्र पिता लखपति तिवारी
175	207/1/3/17	0.004	0.004	आदित्य नारायण पिता शिव शंकर विश्वकर्मा
176	207/1/3/18	0.004	0.004	प्रभात कुमार पिता रघुवीर प्रसाद कुशवाहा
177	207/1/3/19	0.004	0.004	रामसिया पिता विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता
178	207/1/3/20	0.004	0.004	अब्दुल मकसूद पिता अब्दुल मजीद खान
179	207/1/3/21	0.004	0.004	अनिल पिता शत्रुघ्न प्रसाद पाण्डेय
180	207/1/3/22	0.004	0.004	आरती पुत्री शिवबालक विश्वकर्मा
181	207/1/3/23	0.004	0.004	योगेन्द्र पिता विद्याशंकर विश्वकर्मा
182	207/1/3/24	0.004	0.004	शिवबालक पिता रामसुमिरन विश्वकर्मा
183	207/1/3/25	0.004	0.004	देवेन्द्र पिता रामाश्रय प्रसाद द्विवेदी
184	207/1/3/26	0.004	0.004	प्रवीण पिता जीतेन्द्र प्रसाद तिवारी

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
185	207/1/3/27	0.004	0.003	नागेन्द्र पिता रामाश्रय द्विवेदी
186	207/1/3/28	0.004	0.003	गायत्री पति चन्द्रशेखर प्रसाद द्विवेदी
187	207/1/3/29	0.016	0.002	नीलेश पिता शंभूदयाल त्रिपाठी
188	207/1/4/1/1	0.015	0.002	रमाकांत पिता शिवाजी ब्रा०
189	207/1/4/2	0.004	0.003	नीलम पिता शंभूदयाल त्रिपाठी
190	207/1/4/3	0.004	0.003	विकाश पिता रावेन्द्र प्रसाद मिश्रा
191	207/1/4/4	0.004	0.003	राघवेन्द्र पिता छत्रपाल सिंह
192	207/1/4/5	0.004	0.003	सालिनी पुत्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय
193	207/1/4/6	0.004	0.003	आशीष पिता विजय कुमार शुक्ला
194	207/1/4/7	0.004	0.003	तेजबली पिता सूर्यबली तिवारी
195	207/1/4/8	0.004	0.003	श्रवण कुमार पिता अवधेश राम तिवारी
196	207/1/4/9	0.004	0.003	रोशनलाल पिता राममिलन निगम
197	207/1/4/10	0.004	0.003	अभय कुमार पिता रामसुरेश तिवारी
198	207/1/4/11	0.004	0.003	संदीप पिता भोला प्रसाद चतुर्वेदी
199	207/1/4/12	0.004	0.003	ममता पति परमानन्द चतुर्वेदी
200	207/1/4/13	0.004	0.003	प्रीती पति नीलेश निगम
201	207/1/4/14	0.004	0.003	कमलेन्द्र पिता बृजेन्द्र प्रसाद मिश्रा
202	207/1/4/15	0.004	0.003	रामसुरेश पिता भगौती प्रसाद द्विवेदी
203	207/1/4/16	0.004	0.003	राजमन पिता रामरूप शुक्ला
204	207/1/4/17	0.004	0.003	प्रेमलाल पिता रामनाथ हरिजन
205	207/1/4/18	0.004	0.003	पुष्पेन्द्र कुमार पिता विनोद कुमार मिश्रा
206	207/1/4/19	0.004	0.003	तेजभान पिता रामगणेश पाण्डेय
207	207/1/4/20	0.004	0.003	राकेश पिता राजकुमार पाण्डेय
208	207/1/4/21	0.004	0.003	अरुणेश पिता कौशलेन्द्र प्रसाद ब्रा०
209	207/1/4/22	0.004	0.003	गोमती प्रसाद पिता बंशरूप त्रिपाठी
210	207/1/4/23	0.004	0.003	अमरनाथ पिता बिहारी लाल बागरी
211	207/1/4/24	0.004	0.003	श्री कृष्ण पिता श्रीपति पाण्डेय
212	207/1/4/25	0.004	0.003	मुकेश कुमार पिता संतोष कुमार शुक्ला
213	207/1/4/26	0.004	0.003	विनय पिता रघुनाथ प्रसाद प्रधान
214	207/1/4/27	0.004	0.003	पुष्पेन्द्र पिता कमलेश प्रसाद पाण्डेय
215	207/1/4/28	0.004	0.003	प्रियका पति श्री राम चतुर्वेदी
216	207/1/4/29	0.004	0.003	छितेश्वर नाथ पिता इन्द्रदेव पाण्डेय
217	207/1/4/30	0.004	0.003	बृज कुमार पिता रामरूप चतुर्वेदी
218	207/1/4/31	0.004	0.003	रवि प्रसाद पिता उमाशरण तिवारी
219	207/1/4/32	0.004	0.003	उमा पुत्री रामबिहारी तिवारी
220	207/1/4/33	0.004	0.003	हरिहर शरण पिता रामबिहारी तिवारी
221	207/1/4/34	0.004	0.003	अवनीश कुमार पिता रामबिहारी तिवारी
222	207/1/4/35	0.004	0.003	लालजी पिता चिन्तामणि त्रिपाठी
223	207/1/4/36	0.004	0.003	नीरज प्रसाद पिता कामता शरण तिवारी
224	207/1/4/37	0.004	0.003	आमैत कुमार पिता कौशलेश कुमार तिवारी

क्र.	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
225	207/1/4/38	0.004	0.003	कौशलेश पिता रामलखन तिवारी
226	207/1/4/39	0.004	0.003	दिवाकर सिंह पिता गोविन्द्र सिंह
227	207/1/4/40	0.004	0.003	रामलखन पिता चुन्नी लाल वर्मा
228	207/1/4/41	0.004	0.003	प्रमोद कुमार पिता छेदीलाल चतुर्वेदी
229	207/1/4/42	0.004	0.003	भगवानदीन पिता चुन्नीलाल वर्मा
230	207/1/4/43	0.004	0.003	रुचि पुत्री रमेश कुमार शुक्ला
231	207/1/4/44	0.004	0.003	देवेश प्रताप सिंह पिता ब्रम्हदेव सिंह
232	207/1/4/45	0.004	0.003	शिवांगी पुत्री जयमुरार सिंह
233	207/1/4/46	0.004	0.003	सुचिता पति विनोद सिंह
234	207/1/4/47	0.004	0.003	सौम्या पुत्री जयमुरार सिंह
235	207/1/4/48	0.004	0.003	अतुल्यदेव सिंह पिता कुमुदेश्वर सिंह
236	207/1/4/49	0.004	0.003	अखिलेश सिंह पिता जयमुरार सिंह
237	208	0.830	0.004	बोधी, गजाधर पिता खुर्रा, मु० शान्ती बेवा हीरालाल, कैलाश पिता हीरालाल, रामसेवक, रामचन्द्र, छेटेलाल, सुश्रीव पिता मोर्रा लोनिया
कुल योग		2.960	1.166	

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 408-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	चुरहट
(ग) ग्राम	-	मुर्तला पवाई
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	00022 मुर्तला
(ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकबा 0.8880 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	11/1/1/1	0.1030	0.0020	श्रीमती प्रेमवती पत्नी ज्ञानेन्द्र प्रसाद ब्राजाति ब्रा मुर्तला पवाई 63/103 विष्णुदेव गौतम पुत्र रामायण गौतम हिस्सा 2/103 रुक्मिणी कुमार गौतम पुत्र राघवेन्द्र प्रसाद गौतम 2/103 राजा भैया शुक्ला पुत्र छत्रपाल शुक्ला 2/103 शिवचरण शुक्ला पुत्र चन्द्रशेखर प्रसाद शुक्ला 2/103 बृजेन्द्र तिवारी पुत्र राममणि तिवारी हिस्सा 4/103 अनिल त्रिपाठी पुत्र राजधर त्रिपाठी 4/103 विवेक पाण्डेय पुत्र सच्चिदानन्द पाण्डेय 4/103 पंकज पाण्डेय पुत्र सुरेशचन्द्र पाण्डेय हिस्सा 4/103 सिद्धराज दुबे पुत्र रामबहोर दुबे 4/103 हिमांशु कुमार अग्निहोत्री पुत्र देवीदीन अग्निहोत्री 4/103 सुनील कुमार पाठक पुत्र केशव प्रसाद पाठक 4/103 अनुज कुमार पुत्र रामानंद चतुर्वेदी 2/103 श्रीकांत सतनामी पुत्र सियाराम सतनामी हिस्सा 2/103
2	11/1/1/2	0.0530	0.0020	सत्यभामा तिवारी पति लौटन प्रसाद तिवारी 4/53 कपिल देव पुत्र रामनिवास गौतम 4/53 कृष्ण कुमार पुत्र ओंकार सिंह 4/53 प्रभाकर प्रसाद पुत्र आदित्य नारायण मिश्रा 1/53 जितेन्द्र कुमार पुत्र श्यामनारायण मिश्रा 1/53 नवीन मिश्रा पुत्र सुधाकर मिश्रा 1/53 सान्तना तिवारी पुत्र सत्यनारायण तिवारी 1/53 ऊषा मिश्रा बेवा दिवाकर प्रसाद मिश्रा 1/53 दिलीप कुमार पुत्र ज्ञानेन्द्र प्रसाद 32/53 कविराज पिता रामनिवास गौतम 4/53
3	11/1/1/3	0.0590	0.0045	रहीश कुमार पुत्र ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डेय
4	11/1/2	0.0040	0.0010	सुनीता सिंह पति कुलदीप सिंह बरगाही
5	11/1/3	0.0060	0.0010	जयसिंह पुत्र रामराज सिंह बरगाही
6	11/1/4	0.0060	0.0010	शैलेन्द्र पाण्डेय पुत्र हीरालाल पाण्डेय
7	11/1/5	0.0060	0.0010	अमन सिंह पुत्र चन्द्रप्रताप सिंह
8	11/1/6	0.0060	0.0010	गजेन्द्र पुत्र मुरारी प्रसाद मिश्रा

क्रमांक	संसाधन नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
9	11/1/7	0.0040	0.0010	सुनील कुमार पुत्र के.पी. अवस्थी
10	11/1/8	0.0060	0.0010	ममता पाण्डेय पत्नी राकेश कुमार पाण्डेय
11	11/1/9	0.0040	0.0010	सुरेश कुमार शर्मा पिता बाला प्रसाद शर्मा
12	11/1/10	0.0040	0.0010	अशोक कुमार पुत्र रामदरश तिवारी
13	11/1/11	0.0040	0.0010	विकास पाण्डेय पुत्र रामस्वरूप पाण्डेय
14	11/1/12	0.0040	0.0010	राकेश पुत्र श्यामलाल सिंह
15	11/1/13	0.0040	0.0010	शिव प्रसाद पुत्र सीता प्रसाद चतुर्वेदी
16	11/1/14	0.0040	0.0010	प्रदीप कुमार पुत्र बुद्धसेन तिवारी
17	11/1/15	0.0040	0.0010	प्रतीक पुत्र राकेश दीक्षित
18	11/1/16	0.0040	0.0010	श्रद्धा द्विवेदी पत्नी बुजेश कुमार द्विवेदी
19	11/1/17	0.0040	0.0010	मधु द्विवेदी पुत्री अजय द्विवेदी
20	11/1/18	0.0040	0.0010	सीमा शुक्ला पुत्री रमेश प्रसाद शुक्ला
21	11/1/19	0.0040	0.0010	जीतेन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्र ददोल प्रसाद तिवारी
22	11/1/20	0.0040	0.0010	नावेन्द्र पाण्डेय कुष्णदत्त पाण्डेय
23	11/1/21	0.0040	0.0010	सुलोचना पत्नी मनोज मिश्रा
24	11/2/1/1/1/1	0.1870	0.0220	प्रेमवती पत्नी अम्बिका प्रसाद पद्मा पति सूर्यप्रकाश उर्फ सूरज कुमार चतुर्वेदी पलक पुत्री सूर्यप्रकाश उर्फ सूरज कुमार चतुर्वेदी अरुषी नाबालिंग सूर्यप्रकाश उर्फ सूरज कुमार चतुर्वेदी प्रकाश सूर्यप्रकाश उर्फ सूरज कुमार चतुर्वेदी आरुष नाबालिंग सूर्यप्रकाश उर्फ सूरज कुमार चतुर्वेदी संरक्षक माता पद्मा चतुर्वेदी
25	11/2/1/1/1/2	0.0040	0.0010	राजेश पुत्र त्रिवेणी प्रसाद तिवारी
26	11/2/1/1/2	0.0040	0.0010	परीक्षित पुत्र सर्वेश तिवारी
27	11/2/1/1/3	0.0040	0.0010	रमा पत्नी सत्यनारायण त्रिपाठी
28	11/2/1/1/4	0.0040	0.0010	शिववालिका पिता सत्यनारायण त्रिपाठी
29	11/2/1/1/5	0.0040	0.0030	रघुवरशरण पुत्र बट्टी प्रसाद पाण्डेय
30	11/2/1/1/6	0.0040	0.0020	ममता पत्नी सीताशरण पाण्डेय
31	11/2/1/1/7	0.0040	0.0010	सौरभ पिता सत्यनारायण तिवारी
32	11/2/1/1/8	0.0100	0.0015	प्रवीण कुमार मिश्रा पुत्र रमाकांत मिश्रा
33	11/2/1/1/9	0.0100	0.0015	विवेक कुमार मिश्रा पुत्र कृष्णकांत मिश्रा
34	11/2/1/1/10	0.0100	0.0015	राहुल मिश्रा पुत्र कृष्णकांत मिश्रा
35	11/2/1/1/11	0.0100	0.0015	विपिन कुमार मिश्रा पुत्र रमाकांत मिश्रा
36	11/2/1/1/12	0.0100	0.0015	राकेश कुमार मिश्रा पुत्र कृष्णकांत मिश्रा
37	11/2/1/2	0.0040	0.0010	राजूराम पुत्र अयोध्या पटेल
38	11/2/1/3	0.0040	0.0010	सृजन वर्मा नाबालिंग पिता जगतनारायण वर्मा संरक्षक जगतनारायण
39	11/2/1/4	0.0040	0.0010	मयंक शुक्ला पुत्र आर एम शुक्ला
40	11/2/1/5	0.0040	0.0010	ज्योती शुक्ला पुत्री राजमणि शुक्ला
41	11/2/1/8	0.0040	0.0020	आशुतोष पुत्र शालिकराम त्रिपाठी
42	11/2/1/9	0.0040	0.0010	सत्यनारायण पुत्र सीताप्रसाद त्रिपाठी
43	11/2/1/10	0.0040	0.0010	शिवांगी पुत्री सत्यनारायण त्रिपाठी

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	टिपणी
1	2	3	4	5
44	11/2/2	0.0100	0.0015	कृष्णमूर्ति पुत्र अशोक कुमार पाठक
45	11/3/1/1/1	0.1120	0.0195	निर्मला तिवारी बेवा शालिक रात जाति ब्रा आशुतोष पुत्र शालिकराम त्रिपाठी शिवम पुत्र शालिकराम ब्रा
46	11/3/1/1/2	0.0040	0.0040	जय प्रकाश पुत्र राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी
47	11/3/1/2	0.0040	0.0020	शशी कुमार पुत्र अश्विनी कुमार मिश्रा
48	11/3/1/3	0.0040	0.0040	प्रकाश नारायण पुत्र बाबूलाल मिश्रा
49	11/3/1/4	0.0040	0.0040	शिवेन्द्र कुमार पुत्र अशोक कुमार द्विवेदी
50	11/3/1/5	0.0040	0.0020	धीरेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रकाश त्रिपाठी
51	11/3/1/6	0.0040	0.0040	रावेन्द्र प्रसाद पुत्र राजकिशोर मिश्रा
52	11/3/1/7	0.0040	0.0040	पियूसा पुत्री शालिकराम तिवारी
53	11/3/1/8	0.0040	0.0040	रमाशंकर दुबे पुत्र मेवालाल दुबे
54	11/3/1/9	0.0040	0.0020	शैलेन्द्र कुमार पुत्र महेश प्रसाद मिश्रा
55	11/3/1/10	0.0040	0.0020	प्रियंका पुत्री रामप्रकाश त्रिपाठी
56	11/3/2/1	0.0350	0.0275	राघवेन्द्र प्रसाद पुत्र हरिश्चन्द्र ब्रा. हिस्सा 33/35 शिवम शुक्ला पुत्र महेन्द्र शुक्ला जाति ब्रा. 1/35 सूर्यकांत पुत्र जग मोहन प्रसाद पाण्डेय 1/35
57	11/3/2/1/1/2	0.0040	0.0010	अनुज कुमार पुत्र चक्रपति मिश्रा
58	11/3/2/2	0.0100	0.0040	किरण मिश्रा पत्नी पुष्पराज मिश्रा 6/10 सुषमा तिवारी पत्नी आनंद तिवारी 4/10
59	11/3/2/3/1	0.0060	0.0015	युवराज पुत्र रोजेन्द्र प्रसाद मिश्रा
60	11/3/2/3/2	0.0040	0.0010	अमित पुत्र ज्ञानेन्द्र प्रसाद मिश्रा
61	11/3/2/4	0.0120	0.0045	पंकज पुत्र हीरालाल पाण्डेय
62	11/3/2/5	0.0040	0.0010	आगमनलाल पुत्र सुमेश्वर प्रसाद मिश्रा
63	11/3/2/6	0.0040	0.0010	राखी मिश्रा पिता आगमनलाल मिश्रा
64	11/3/2/7	0.0100	0.0040	अभिषेक सिंह पुत्र मनोज सिंह
65	11/3/2/8	0.0100	0.0040	अरुण सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
66	11/3/2/9	0.0100	0.0060	नारेन्द्र सिंह पुत्र रामाधार सिंह
67	11/3/2/10	0.0100	0.0060	नागेन्द्र सिंह पुत्र रामाधार सिंह
68	11/3/2/11	0.0100	0.0040	अमित पुत्र रविनन्दन सिंह
69	11/3/2/12	0.0060	0.0015	सुनील सिंह पुत्र चन्द्रमोहन सिंह
70	11/3/2/13	0.0060	0.0015	रामलखन पुत्र रामनिवास त्रिपाठी
71	11/3/2/14	0.0060	0.0015	भीमसेन पुत्र मोतीलाल पटेल
72	11/3/2/15	0.0040	0.0010	मुकेश कुमार पुत्र रावेन्द्र प्रसाद जाति ब्रा.
73	15	0.0400	0.0080	राजभान,शान्तनु प्रसाद अश्विनी प्रसाद ज्ञानेन्द्र प्रसाद पिता जगदम्बा प्रसाद मु निर्मला पति भूपेन्द्र प्रसाद भीषनारायण पिता भूपेन्द्र प्रसाद जाति ब्रा.
74	16	0.1420	0.0120	राजभान,शान्तनु प्रसाद अश्विनी प्रसाद ज्ञानेन्द्र प्रसाद पिता जगदम्बा प्रसाद मु निर्मला पति भूपेन्द्र प्रसाद भीषनारायण पिता भूपेन्द्र प्रसाद जाति ब्रा.
75	110/2/1/1/1/1	0.1240	0.1000	जयकिशोर मिश्रा पुत्र अवध किशोर मिश्रा 4/124 भागवत प्रसाद पुत्र केंदार प्रसाद जाति ब्रा. 120/124

क्रमांक	असरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
76	110/2/1/1/1/2	0.0040	0.0040	कल्याणवती पत्नी मुमन कुमार शुक्ला
77	110/2/1/1/1/3	0.0040	0.0040	चंदना पुत्री अरुण कुमार शुक्ला
78	110/2/1/1/1/4	0.0040	0.0040	माला शुक्ला पुत्री रविशंकर शुक्ला
79	110/2/1/2	0.0040	0.0040	धर्मराज पुत्र हीरालाल विश्वकर्मा
80	110/2/1/3	0.0040	0.0035	जितेन्द्र पुत्र वंशपति विश्वकर्मा
81	110/2/1/4	0.0040	0.0035	शुभलायक पुत्र शिवशरण विश्वकर्मा
82	110/2/1/5	0.0040	0.0035	शिवांसू पुत्र राजेश विश्वकर्मा
83	110/2/1/6	0.0040	0.0035	पुनीतधर पुत्र भाष्कर द्विवेदी
84	110/2/1/7	0.0040	0.0035	महिमा पाठक पति नीरज पाठक 1/2 मैथली पुत्री नीरज पाठक 1/2
85	110/2/1/8	0.0040	0.0035	पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र रमेश तिवारी
86	110/2/1/9	0.0040	0.0035	क्षमा पत्नी दिनेश तिवारी
87	110/2/1/10	0.0040	0.0035	संतोष पुत्र विद्यासागर मिश्रा
88	110/2/1/11	0.0040	0.0035	सुरेन्द्र कुमार पिता हरिशचन्द्र शुक्ला
89	110/2/1/12	0.0040	0.0035	रोहित पुत्र हरिशचन्द्र शुक्ला
90	110/2/1/13	0.0040	0.0035	सुजीत हरिशचन्द्र शुक्ला
91	110/2/1/14	0.0040	0.0035	त्रिवेणी प्रसाद पुत्र गंगा राम तिवारी
92	110/2/1/15	0.0040	0.0035	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र अवधेश शुक्ला
93	110/2/1/16	0.0040	0.0035	सुभाषचन्द्र पुत्र रामचन्द्र मिश्रा
94	110/2/2	0.0610	0.0440	शीलू पुत्री भागवत प्रसाद ब्रा.
95	110/2/3	0.0610	0.0520	रोशनी पुत्री भागवत प्रसाद ब्रा.
96	110/2/4	0.0610	0.0545	गोल्डी पुत्री भागवत प्रसाद ब्रा.
97	110/2/5	0.0610	0.0545	अनुपम पुत्र भागवत प्रसाद ब्रा.
98	135/2/1	0.1190	0.0070	देवकी बाई पुत्री रामनरेश तिवारी
99	135/2/2	0.1190	0.0060	आशुतोष पुत्र रामबिहारी द्विवेदी
100	135/2/3	0.1190	0.0030	अंशुल पुत्र रामबिहारी द्विवेदी
101	143/1/1	0.4560	0.1370	संजय पिता शिवेन्द्र प्रसाद तिवारी
102	143/1/2	0.4570	0.1370	अजय पिता शिवेन्द्र प्रसाद तिवारी
103	144/1/2	0.6400	0.0080	उदय नारायण पुत्र रामनारायण शर्मा
निजी भूमि का योग		3.443	0.8880	

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 410-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-: अनुसूची :-

- (1) भूमि का वर्णन :-
 (क) जिला :- सीधी
 (ख) तहसील :- गोपद बनास
 (ग) ग्राम :- कोतरकला
 (घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :- सीधीगिर्द
 (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :- रकबा 1.1470 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे० में	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	6/1/1	0.0500	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
2	6/1/2/1	0.1000		
3	6/1/2/2	0.0160		
4	6/2	0.2140		
5	88	0.0390		
6	89/1	0.0400		
7	89/2			
8	90/1	0.0400		
9	70/1	0.0700		
10	70/3			
11	71	0.0680		
12	78/1	0.1260		
13	78/2/1			
14	78/2/2			
15	91/1/7	0.1910		
16	91/4			

17	91/7		उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण)	रीवा-सीधी नई रेल
18	91/1/11		पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	लाइन के निर्माण हेतु
19	91/5			
20	91/8			
21	91/2/1			
22	91/15	0.0400		
23	2/1/1	0.0300		
24	19/4	0.0050		
25	9/1/2/8	0.0090		
26	16/1			
27	16/2			
28	16/3/1			
29	16/3/2	0.0210		
30	16/3/3			
31	16/3/4			
32	69	0.0700		
33	79	0.0180		
कुल योग -		1.1470		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 412-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

--: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला	:-	सीधी
(ख)	तहसील	:-	गोपद बनास
(ग)	ग्राम	:-	कोठार
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:-	कोठार
(ङ)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 3.6350 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे० में	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	388/1	0.0460	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
2	389/3	0.1340		
3	389/4	0.0400		
4	397/1	0.2000		
5	397/2	0.2680		
6	402	0.0170		
7	403/2	0.0130		
8	404/1/1/1	0.0310		
9	404/1/2	0.0040		
10	404/1/3	0.0040		
11	404/1/4	0.0040		
12	404/1/5	0.0040		
13	404/1/6	0.0040		
14	404/2	0.0040		
15	405/1/1	0.0700		
16	405/2	0.0700		
17	405/3	0.0600		

18	433/1/1	0.0150	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
19	433/1/2	0.0120		
20	433/2/2	0.0040		
21	433/2/3	0.0040		
22	433/2/4	0.0040		
23	433/2/5	0.0040		
24	433/2/6	0.0040		
25	433/2/7	0.0040		
26	433/2/8	0.0040		
27	524	0.1280		
28	525	0.1150		
29	526	0.0030		
30	530/1	0.0300		
31	530/2/1/5	0.0200		
32	530/2/1/1/1	0.0300		
33	530/2/2	0.0300		
34	530/2/3	0.0300		
35	530/2/1/6	0.0100		
36	530/2/1/2	0.0200		
37	530/2/4	0.0300		
38	530/2/1/3	0.0200		
39	530/2/1/4	0.0200		
40	533	0.0370		
41	537/2	0.0430		
42	610/2	0.0100		
43	610/3	0.0900		
44	610/4	0.0710		
45	614	0.0050		
46	615/2/1	0.0100		
47	615/2/2	0.0040		
48	615/2/3	0.0040		
49	615/2/4	0.0040		
50	615/3/2	0.0040		
51	615/3/3	0.0050		
52	615/3/4	0.0050		
53	615/3/5	0.0100		
54	615/4/1	0.0300		
55	615/4/2	0.0100		
56	615/4/3	0.0100		
57	615/4/4	0.0100		
58	615/5	0.0100		
59	615/6/1	0.0100		
60	615/6/2	0.0040		
61	615/6/3	0.0040		
62	615/6/4	0.0040		
63	615/7	0.0100		
64	615/8	0.0040		
65	615/9	0.0040		
66	615/10	0.0040		
67	615/11	0.0100		
68	615/12	0.0040		

69	615/13	0.0040	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
70	615/14	0.0220		
71	396/1/1/3	0.0040		
72	396/1/2	0.0050		
73	396/1/4	0.0050		
74	396/1/3	0.0050		
75	396/1/5	0.0050		
76	396/1/6	0.0040		
77	396/1/1/6	0.0040		
78	396/1/1/7	0.0040		
79	396/1/1/8	0.0040		
80	396/1/1/9	0.0040		
81	396/1/1/10	0.0040		
82	396/1/14	0.0040		
83	396/1/15	0.0040		
84	396/1/16	0.0040		
85	396/3	0.0040		
86	396/4	0.0040		
87	396/5	0.0040		
88	396/6	0.0040		
89	396/7	0.0140		
90	396/8	0.0120		
91	396/1/8	0.0040		
92	396/1/29	0.0040		
93	396/1/34	0.0040		
94	396/1/32	0.0040		
95	396/1/43	0.0040		
96	396/1/41	0.0040		
97	396/1/18	0.0040		
98	396/1/11	0.0040		
99	396/1/30	0.0040		
100	396/1/40	0.0040		
101	396/1/42	0.0040		
102	396/1/46	0.0040		
103	396/1/22	0.0040		
104	396/1/20	0.0040		
105	396/1/21	0.0040		
106	396/1/17	0.0040		
107	785/2/2	0.0320		
108	779/1	0.0300		
109	779/2	0.0600		
110	779/3	0.0400		
111	779/4	0.0500		
112	779/5	0.0500		
113	779/6	0.0500		
114	782/1/1	0.0600		
115	782/2	0.0600		
116	782/3	0.0600		
117	782/4	0.0600		
118	782/5	0.0500		
119	805/8	0.0400		

120	805/9	0.0600	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर	रीवा-सीधी नई रेल लाइन के निर्माण हेतु
121	807	0.0200		
122	808/1	0.0450		
123	808/2	0.0450		
124	808/3	0.0400		
125	808/4/1	0.0100		
126	808/4/2	0.0100		
127	808/5	0.0800		
128	808/6	0.0500		
129	808/7	0.0600		
130	808/8/1	0.0700		
131	808/8/3	0.0400		
132	808/9	0.1500		
133	808/10	0.0900		
134	809	0.0220		
135	511	0.0040		
136	605	0.0050		
137	633	0.0150		
138	394	0.0410		
कुल योग -		3.6350		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास
के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मई 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड कलकुआ-ए N 24°20'35.327" E 79°36'15.580" से N 24°21'3.780" E 79°36'39.584" उत्तर अक्षांश तथा N 24°20'56.890" E 79°36'44.124" से N 24°20'50.075" E 79°36'1.076" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - दमोह तहसील - हटा
वनमण्डल - पन्ना टाईगर रिजर्व वन परिक्षेत्र - मडियादो

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं	
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.में.)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	कलकुआ ए	कलकुआ	म.प्र. शासन वन विभाग	84/2 87/2	16.00 23.00	उत्तर-	प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 11 तक।
						पूर्व-	प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 12 तक।
						दक्षिण-	प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से संरक्षित वनखण्ड कलकुआ की सीमा पर स्थित मुनारा क्रमांक 16 तक।
						पश्चिम-	मुनारा क्रमांक 16 से 18 तक संरक्षित वनखण्ड कलकुआ की सीमा एवं प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 18 से 25 एवं 1 तक।
						वनखण्ड के अन्दर स्थित खसरा क्रमांक 85 को छोड़कर जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार है:-	
						उत्तर-	मुनारा क्रमांक 26 से 27 तक।
						पूर्व-	मुनारा क्रमांक 27 से 32 तक
						दक्षिण-	मुनारा क्रमांक 32 से 35 तक।
						पश्चिम-	मुनारा क्रमांक 35 से 36 एवं 26 तक।
				योग-	39.00		

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 39.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./21 अ/20(3) वर्ष 2023-24 दिनांक 14-03-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा, जिला-दमोह के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
 2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।
अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 9 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 9th May 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act. 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Kalkua-A lies between N 24°20'35.327" E 79°36'15.580" to N 24°21'3.780" E 79°36'39.584" North Latitude and N 24°20'56.890" E 79°36'44.124" to N 24°20'50.075" E 79°36'1.076" East Longitude.

SCHEDULE

District – Damoh Tehsil. – Hatta
Forest Division – Panna Tiger Reserve Forest Range – Madiyado

NO.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of Land	Khasra no.	Area (Hectare)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Kalkua-A	Kalkua	M.P.Govt. Forest Department Govt. land	84/2 87/2	16.00 23.00	North–	Piilar number 1 to 11 of proposed forest block.
						East–	Piilar number 11 to 12 of proposed forest block.
						South–	Pillar number 12 of proposed forest to Pillar number 16 situated on the boundary of protected forest block Kalkuan.
						West–	boundary of protected forest block Kalkuan from Pillar no. 16 to 18 and Pillar no. 18 to 25 and 1 of proposed forest block.
						Excluding the khasra number 85 situated inside the Block	
						North–	Piilar number 26 to 27.
						East–	Piilar number 27 to 32.
						South–	Pillar number 32 to 35.
						West–	Pillar number 35 to 36 to 26.
				Total	39.00		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 39.00 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No रा.प्र.क्र./21 अ/20(3) वर्ष 2023-24 dated 14.03.2024 of Colletor Damoh.

2. Details of other Reasons :- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Tahsildar Tendukhea District Damoh are as under:-

- Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
- Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड विनैका-ए N 24°27'48.325" E 79°39'27.495" से N 24°27'56.385" E 79°39'38.561" उत्तर अक्षांश तथा N 24°27'56.046" E 79°39'27.433" से N 24°27'48.462" E 79°39'38.521" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - छतरपुर तहसील - बिजावर
वनमण्डल - पत्रा टाईगर रिजर्व पन्ना वन परिक्षेत्र - किशनगढ़ बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.में.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	विनैका-ए	विनैका	म.प्र. शासन वन विभाग	54/1/1	7.696	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड विनैका के मुनारा क्रमांक 2 से मुनारा क्रमांक 5 तक। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड विनैका के मुनारा क्रमांक 5 से मुनारा क्रमांक 4 तक। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड विनैका के मुनारा क्रमांक 4 से मुनारा क्रमांक 3 तक। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड विनैका के मुनारा क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 2 तक।
				योग-	7.696	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 7.696 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./0006 अ/20(1)/हस्तां/2024-25 दिनांक 11-04-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 9 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 9th May 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act. 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Bineka-A lies between N 24°27'48.325" E 79°39'27.495" to N 24°27'56.385" E 79°39'38.561" North Latitude and N 24°27'56.046" E 79°39'27.433" to N 24°27'48.462" E 79°39'38.521" East Longitude.

SCHEDULE

District – Chhatarpur Tehsil. – Bijawar
Forest Division – Panna Tiger Reserve Forest Range – Kishangarh Buffer

NO.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra no.	Area (Hectare)	
1	Vinaika A	Vinaika	M.P.Govt. Forest Department Govt. land	54/1/1	7.696	North- Piilar number 2 to 5 of protected forest block Vinaika East- Piilar number 5 to 4 of protected forest block Vinaika South- Piilar number 4 to 3 of protected forest block Vinaika West- Piilar number 3 to 2 of protected forest block Vinaika
				Total	7.696	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 7.696 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No रा रा.प्र.क्र./0006 अ/20(1)/हस्तां/2024-25 dated 11.04.2024 of Colletor Chhatarpur.

2. Details of other Reasons :- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by SDM Bijawar are as under:-

- 1. Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land.
- 2. Community Rights** – There are no Communities rights on the said land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड विनैका-बी N 24°27'15.653" E 79°39'13.874" से N 24°27'53.312" E 79°39'15.204" उत्तर अक्षांश तथा N 24°27'33.048" E 79°39'1.639" से N 24°27'25.581" E 79°39'16.701" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - छतरपुर तहसील - बिजावर
वनमण्डल - पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना वन परिक्षेत्र - किशनगढ़ बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.में.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	विनैका-बी	विनैका	म.प्र. शासन वन विभाग	18/1 9/1	10.024 3.534	उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 5 तक एवं संरक्षित वनखण्ड विनैका के मुनारा क्रमांक 1 तक।
				22/1 23/1	3.878 7.967	पूर्व - संरक्षित वनखण्ड विनैका की पश्चिमी सीमा पर मुनारा क्रमांक 1 से 134, 133, 132 एवं 131 तक।
						दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड विनैका के मुनारा क्रमांक 131 से 130 तक।
						पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड विनैका के मुनारा क्रमांक 130 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक।
				योग-	25.403	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 25.403 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./0006 अ/20(1)/हस्तां०/2024-25 दिनांक 11-04-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

- (ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 9 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 9th May 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act. 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Bineka-B lies between N 24°27'15.653" E 79°39'13.874" to N 24°27'53.312" E 79°39'15.204" North Latitude and N 24°27'33.048" E 79°39'1.639" to N 24°27'25.581" E 79°39'16.701" East Longitude.

SCHEDULE

District - Chhatarpur Tehsil. - Bijawar
Forest Division - Panna Tiger Reserve Forest Range - Kishangarh Buffer

NO.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of Land	Khasra no.	Area (Hectare)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Vinaika B	Vinaika	M.P.Govt. Forest Department Govt. land	18/1 9/1 22/1 23/1	10.024 3.534 3.878 7.967	North-	Piilar number 4 to 5 of proposed forest block and Pillar no. 1 of protected forest block Vinaika
						East-	Piilar number 1 to 134, 133, 132 and 131 on the wertern boundary of protected forest block Vinaika.
						South -	Piilar number 131 to 130 of protected forest block Vinaika.
						West-	Piilar number 130 of protected forest block Vinaika to Pillar no. 1 to 4 of proposed forest block.
				Total	25.403		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 25.403 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. रा.प्र.क्र./0006 अ/20(1)/हस्तां/2024-25 dated 11.04.2024 of Colletor Chhatarpur.

2. Details of other Reasons :- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by SDM Bijawar are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .

2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड विनैका-सी N 24°26'19.330" E 79°39'51.916" से N 24°26'38.892" E 79°39'52.087" उत्तर अक्षांश तथा N 24°26'37.155" E 79°39'23.211" से N 24°26'35.391" E 79°40'16.609" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - छतरपुर तहसील - बिजावर
वनमण्डल - पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना वन परिक्षेत्र - किशनगढ़ बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.में.)	
1	विनैका-सी	विनैका	म.प्र. शासन वन विभाग	198/1 196/1	2.668 7.202	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड विनैका की दक्षिणी सीमा के मुनारा क्रमांक 120 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक।
				44/1 195	2.044 6.070	पूर्व - प्रस्तावित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 4 से 6 तक।
				194 193	12.080 5.289	दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 6 से 13 तक।
						पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 13 से मुनारा क्रमांक 16 तक एवं संरक्षित वनखण्ड विनैका के मुनारा क्रमांक 120 तक।
				योग-	35.353	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 35.353 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./0006 अ/20(1)/हस्तां०/2024-25 दिनांक 11-04-2024 एवं संशोधित आदेश क्र./रा.प्र.क्र./0010 अ/20(1)/हस्तां०/2023-24 दिनांक 28-09-2023 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 9 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 9th May 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: in exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act. 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Bineka-C lies between N 24°26'19.330" E 79°39'51.916" to N 24°26'38.892" E 79°39'52.087" North Latitude and N 24°26'37.155" E 79°39'23.211" to N 24°26'35.391" E 79°40'16.609" East Longitude.

SCHEDULE

District – Chhatarpur Tehsil. – Bijawar
Forest Division – Panna Tiger Reserve Forest Range – Kishangarh Buffer

NO.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of Land	Khasra no.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Vinaika C	Vinaika	M.P.Govt. Forest Department Govt. land	198/1 196/1 44/1 195 194 192	2.668 7.202 2.044 6.070 12.080 5.289	North- Piilar number 120 on Southern boundary of protected forest block Vinaika to pillar no. 1 to 4 of proposed forest block. East- Piilar number 4 to 6 of proposed forest block. South- Piilar number 6 to 13 of proposed forest block. West- Piilar number 13 to 16 of proposed forest block to Pillar no. 120 of protected forest block Vinaika.
				Total	35.353	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 35.353 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. रा.प्र.क्र./0006 अ/20(1)/हस्तां/2024-25 dated 11.04.2024 and Revised order No. रा.प्र.क्र./0010 अ/20(1)/हस्तां/2023-24 dated 28.09.2024 of Colletor Chhatarpur. of Colletor Chhatarpur.

2. Details of other Reasons :- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by SDM Bijawar are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, नरसिंहपुर

क्र. 3330-सॉ. लि.-2024

नरसिंहपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2024

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के पत्र कं./01/1770880/2023/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 02.01.2024 में दिए गये निर्देशानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, 1974 का सरल क्रमांक-2 की धारा 2 खण्ड एस. द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से-

- (1)- नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नंबर-(2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करती है।
- (2)- सारणी के कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है।

कं.	ग्राम का नाम	वर्तमान थाना	प्रस्तावित चौकी/थाना
1	2	3	4
1	सिहोरा	थाना स्टेशनगंज	थाना मुंगवानी
2	धमेटा	थाना करेली	थाना डोंगरगांव
3	खड्डई	थाना करेली	थाना डोंगरगांव
4	घुघरी	थाना करेली	थाना डोंगरगांव
5	जमुनिया	थाना करेली	थाना डोंगरगांव
6	सावरा	थाना करेली	थाना डोंगरगांव
7	पिठहरा	थाना गाडरवारा चौकी सिहोरा	थाना पलोहा
8	सिंगोटा	थाना गाडरवारा चौकी सिहोरा	थाना पलोहा
9	भूमिया ढाना	थाना गाडरवारा चौकी सिहोरा	थाना पलोहा
10	बरेली	थाना डोंगरगांव	थाना गाडरवारा
11	बरहेटा	थाना डोंगरगांव	थाना गाडरवारा
12	कजरोटा	थाना डोंगरगांव	थाना गाडरवारा
13	रातीकरार	थाना चीचली	थाना डोंगरगांव
14	इमलिया	थाना चीचली	थाना गाडरवारा
15	डमरूघाटी एवं निरंजन वार्ड	थाना पलोहा	थाना गाडरवारा
16	मेहका	थाना ठेमी	थाना स्टेशनगंज
17	झिरी	थाना ठेमी	थाना स्टेशनगंज
18	गुटोरी	थाना ठेमी	थाना स्टेशनगंज
19	सुपला	थाना ठेमी	थाना स्टेशनगंज
20	डुंगरिया	थाना ठेमी	थाना गोटेगांव
21	सिवनी	थाना ठेमी	थाना गोटेगांव
22	नोन पिपरिया	थाना ठेमी	थाना गोटेगांव
23	जमुनिया	थाना मुंगवानी	थाना ठेमी
24	गढपेहरा	थाना मुंगवानी	थाना ठेमी
25	सिरकोना	थाना मुंगवानी	थाना ठेमी
26	बिजौरी	थाना मुंगवानी	थाना स्टेशनगंज चौकी सिंहपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

No. 3330-S.W.-2024

Narsinghpur, the 30th April, 2024

Madhya Pradesh Government Home Department's letter no./01/1770880/2023/B-3/2, Bhopal dated 02.01.2024, Section 2 Section S of Code of Criminal Procedure 1973, 1974, Simple Number 2. In exercise of the powers conferred by this Act, the State Government, with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette, makes partial modifications to the earlier notification affecting the local areas specified in the table below:-

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column (1) of the table below the Local areas specified in the column (2) there of and
2. Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the police Station mentioned in column (3) of the said Table:

Table

S.N.	Name of Village	Present Thana	Name of Police Station
1	2	3	4
1	Sihora	Thana Stationgunj	Thana Mungwani
2	Dhameta	Thana Kareli	Thana Dongargaon
3	Khadai	Thana Kareli	Thana Dongargaon
4	Ghughri	Thana Kareli	Thana Dongargaon
5	Jamuniya	Thana Kareli	Thana Dongargaon
6	Sawra	Thana Kareli	Thana Dongargaon
7	Pithehra	Thana Gadawara Chouki Sihorra	Thana Paloha
8	Singota	Thana Gadawara Chouki Sihorra	Thana Paloha
9	Bhumiya Dhana	Thana Gadawara Chouki Sihorra	Thana Paloha
10	Bareli	Thana Dongargaon	Thana Gadawara
11	Barheta	Thana Dongargaon	Thana Gadawara
12	Kajrota	Thana Dongargaon	Thana Gadawara
13	Ratikarar	Thana Chichli	Thana Dongargaon
14	Imaliya	Thana Chichli	Thana Gadawara
15	Damrughati & Niranjana Ward	Thana Paloha	Thana Gadawara
16	Mehka	Thana Themi	Thana Stationgunj
17	Jhiri	Thana Themi	Thana Stationgunj
18	Gutori	Thana Themi	Thana Stationgunj
19	Supla	Thana Themi	Thana Stationgunj
20	Dungariya	Thana Themi	Thana Gotegaon
21	Seoni	Thana Themi	Thana Gotegaon
22	Non Pipariya	Thana Themi	Thana Gotegaon
23	Jamuniya	Thana Mungwani	Thana Themi
24	Gadhpehra	Thana Mungwani	Thana Themi
25	Sirkona	Thana Mungwani	Thana Themi
26	Bijouri	Thana Mungwani	Thana Stationgunj Chouki Singhpur

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHEETLA PATLE, Collector and Ex-officio Dy. Secy.